

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

संख्या: 1/सी0-1022/2023-सा0प्र0-...../भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के बैच वर्ष, 2015 निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान-लेवल-12-₹78,800-2,09,200/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री सुहर्ष भगत	अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना
2	श्री अमन समीर	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा
3	श्री प्रशांत कुमार सी एच	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना
4	श्री मनेश कुमार मीणा	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी
5	श्री सावन कुमार	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ
6	श्री सज्जन आर	संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
7	श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा
8	श्री तुषार सिंगला	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज

2. उपर्युक्त कंडिका-1 की तालिका के क्रमांक- 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 के पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है। फलस्वरूप, संबंधित पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा करेंगे।

3. संदर्भगत अधिसूचना की कंडिका-1 की तालिका के क्रम संख्या-6 के श्री सज्जन आर को अपर सचिव के रूप में पदनामित भी किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(जगदीश कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : /सी0-1022/2023-सा0 प्र0-...../पटना-15, दिनांक: 14 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई

दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12(I) के तहत अधिसूचना के क्रमांक-1 पदाधिकारी (श्री सुहर्ष भगत) द्वारा वर्तमान धारित पद को उक्त पद पर उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3 जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे ।

4. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

सरकार के उप सचिव ।